उत्तर प्रदेश शासन

समाज कल्याण अनुभाग-3

संख्या-94/2015/3011/26-3-2015-4(2)/2014

लखनऊः दिनांकः 01 सितम्बर, 2015

**शुद्धि पत्र**

शासनादेश संख्या-76/2015/2364/26-3-2015-4(2)/2014, दिनांक-24.07.2015 द्वारा चालू वित्तीय वर्ष 2015-16 में अनुदान संख्या-81 के आयोजनागत पक्ष के जनजातीय क्षेत्र उपयोजना में विशेष केन्द्रीय सहायताव्तगत निर्माण कार्य हेतु रूपया-300.00 लाख (रूपया तीन करोड़ मात्र) की वित्तीय स्वीकृति निर्गत कर निदेशक, जनजाति विकास के निर्वतन पर रखी गयी है।

2- उक्त शासनादेश दिनांक-24.07.2015 में त्रुटिवश अंकित लेखाशीर्षक "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिब्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796 जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0104-संविधान के अनुच्छेद 275(1) के अन्व्तगत जनजातियों के कल्याण हेतु माडल विद्यालय (के0100%)-24 वृहद निर्माण कार्य" के स्थान पर लेखा शीर्षक "4225-अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों तथा अन्य पिछड़े वर्गो का कल्याण पर पूंजीगत परिब्यय-02-अनुसूचित जनजातियों का कल्याण-आयोजनागत-796-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना-01-केन्द्रीय आयोजनागत/केन्द्र द्वारा पुरोनिधानित योजनायें-0108-जनजातीय क्षेत्र उपयोजना के विशेष केन्द्रीय सहायता के अन्तर्गत निर्माण कार्य (के0100%)-24 वृहद निर्माण कार्य" पढ़ा जाय।

उक्त शासनादेश संख्या-76/2015/2364/26-3-2015-4(2)/2014,दिनांक-24.07.2015 इस सीमा तक संशोधित समझा जाय। शासनादेश का शेष अंश यथावत रहेगा।

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

पृ0संख्या-94/2015/3011(1)/26-3-2015-तद्दिनांक

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः-

1-महालेखाकार,(लेखा एवं हकदारी/लेखापरीक्षा) प्रथम/द्वितीय उ0प्र0, इलाहाबाद।

2-निदेशक,जनजाति विकास को उनके पत्रांक-182/113/ज.जा.वि/2015-16, दि0-02.09.2015 के सन्दर्भ में।

3-जिलाधिकारी, सिद्धार्थनगर।

4-अवर सचिव, जनजातीय कार्य मंत्रालय, भारत सरकार शास्त्री भवन, नई दिल्ली।

5-मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, लखनऊ।

6-अधिशासी अभियन्ता, ग्रामीण अभियन्त्रण सेवा प्रखण्ड, सिद्धार्थनगर।

7- वित्त (व्यय नियंत्रण) अनुभाग-3/वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1/2

8-निदेशक, एन0आई0सी0 योजना भवन लखनऊ।

9- समाज कल्याण (बजट प्रकोष्ठ)

10-गार्डफाइल/इन्टरनेट प्रति।

आज्ञा से

विजय प्रसाद त्रिपाठी

अनुसचिव

---

1- यह शासनादेश इलेक्ट्रानिकली जारी किया गया है, अतः इस पर हस्ताक्षर की आवश्यकता नहीं है ।

2- इस शासनादेश की प्रमाणिकता वेब साइट http://shasanadesh.up.nic.in से सत्यापित की जा सकती है ।

http://shasanadesh.up.nic.in